मध्यप्रदेश राज्य बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2010

The heart of Incredible India

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2010

योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :–

1. (1) यह योजना मध्यप्रदेश राज्य बेड एण्ड ब्रेक फास्ट स्थापना, (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2010 कहलायेगी ।

(2) इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा ।

(3) यह योजना 01.04.2010 से लागू होगी ।

(4) इस योजना का उद्देश्य –

(i) देशी–विदेशी अतिथियों को किफायती दरों पर आवास, भोजन सुविधा प्रदाय करना,

(ii) विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचय कराना तथा

(iii) निजी क्षेत्र को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

(5) यह योजना होटल, मोटल, गेस्ट हाउस पर लागू नहीं होगी।

(6) योजना के विस्तृत दिशा निर्देश, म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग के आदेश क्र. 145/एफ 16–46/06 /33 दिनांक 02/02/ 2010 के अनुसार जारी किये जा रहे है।

2. **पंजीयन :–**

(1) सम्पत्तिधारक अपने आवास गृह (जिसे आगे ''इकाई'' कहा जायेगा) का स्वयं के उपयोग के अंश को छोडकर शेष कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 02 तथा अधिकतम संख्या 05 (10 शैय्या) हो सकेगी, पर्यटक/अतिथियों को रहवास के लिए उपलब्ध कर सकेगा ।

(2) जो सम्पत्तिधारक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हो, उसे मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (जिसे आगे 'निगम' कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को प्रारूप ''अ'' में रू. 1000/– पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, म.प्र. पर्यटन विकास निगम भोपाल के नाम पर देय होगा। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन पत्र के साथ 'प्ररूप– ब' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ 'प्ररूप–स' में चेक लिस्ट संलग्न करनी होगी ।

(3) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए 'इकाई' को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात्

(क) यह कि इकाई विशुद्धतः आवासीय इकाई हो तथा उसका स्वामी परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवासरत हो ;

(ख) यह कि सम्पत्तिधारक उसके आवसीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयनकक्षों को ही किराये पर दे सकेगा जिसकी संख्या कम से कम 02 तथा अधिकतम 05 होगी। अधिकतम 10 शैय्या होगी ;

(ग) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, उर्जा आपूर्ति, फर्नीचर व अन्य सुविधायें उपयुक्त स्तर की होगी। कमरे में हवा आने जाने के लिए खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो ;

(घ) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो; एवं

(ड़) अन्य कोई शर्ते जो राज्य सरकार या 'निगम' द्वारा निर्धारित की जावे।

(4) उप कंडिका(2) में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त गठित समिति को उसकी टिप्पणी तथा प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए प्रेषित करेगा ।

(5) परिसर का निरीक्षण करने पर समिति को यदि कोई कमियाँ दृष्टिगत होती है तो निर्धारित समयावधि में कमेटी की संतुष्टि स्तर तक उसे सुधारने का अवसर आवेदक को दिया जाएगा। आवेदक ऐसा करने में यदि असफल रहता है तो उसका आवेदन अमान्य किया जायेगा।

(6) समिति, ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगी। समिति अपनी अनुशंसायें देते समय सम्पत्ति धारक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगी।

(7) समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक,प्रतिवेदन से सतुष्ट होने पर 'इकाई' का पंजीयन करने के लिए विहित प्ररूप 'द' में प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए होगा, यदि उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। 'इकाई' के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा।

(8) 'इकाई' के पंजीयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 3 माह के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

(9) प्रबंध संचालक इस योजना के अंतर्गत स्थापित 'इकाईयों' की एक डायरेक्ट्री विहित प्ररूप 'इ' में संधारित करायेगा ।

3. उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन, निरीक्षण कर अनुशंसा प्रबंध संचालक को प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित होगी –

1. निगम का क्षेत्रीय प्रबंधक
2. 'निगम' का कार्यपालन यंत्री /सहायक यंत्री
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'इकाई' निरहर होगी :–

(क) यदि संम्पत्ति धारक किसी अपराधिक मामले में दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो ; या

(ख) यदि संम्पत्ति धारक दिवालियां हो गया हो ; या

(ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका – 9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो।

5. सम्पत्ति धारक का दायित्व होगा कि वह –

(i) अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'फ' में एक पंजी संधारित करे, जो निरीक्षण के लिए सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी । ऐसी पंजी प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पांच वर्ष तक सुरक्षित रखा जावेगा।

(ii) इकाई में रूकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर भेजे।

(iii) इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से करावे।

(iv) भवन को अच्छी हालत में संधारित करें। भवन की साफ सफाई अच्छी रखी जाये। सभी प्रकार की सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है का प्रबंध करे।

(v) 'इकाई' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया, मैन्यु दरों के साथ, चेक आउट का टाईम तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करें।

(vi) खाद्य पदार्थ स्वच्छ एवं स्वस्थ अवस्था में तैयार कर उपलब्ध करावे।

(vii) अतिथियों को रूकने तथा खान पान की सुविधा उनकी दरों स्थापना के खुलने एवं बंद होने आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करावे।

(viii) अतिथियों को खान पान तथा अन्य सुविधायें जैसा कि वादा किया जाए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ix) बिन्दु 8(1) के अंतर्गत कर्मचारियों के लिये वर्दी निर्धारित करें। वर्दी में दृष्टिगोचर स्थान पर नाम पट्टिका लगानी होगी।

(x) इकाई के विरूद्ध शिकायत करने के लिए निगम द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता दूरभाष क्रमांक, ई मेल आई.डी. को काउंटर पर सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

(xi) इकाई द्वारा कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिवर्तन हो तो क्षेत्रीय प्रबंधक को उस अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह भीतर भेजे।

6. **सम्पत्ति धारक –**

(i) फ्रंट आफिस संधारित नहीं करेगा तथा सम्पूर्ण आवास सामान्य आवासीय भवन की तरह रखेगा।

(ii) टूर ट्रेवल्स, साइट सीईंग, हेण्डीक्राफ्ट यातायात या उसके समान किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक गतिविधियां न तो स्वयं संचालित करेगा और न ही इकाई परिसर से उसके संचालन की अनुमति देगा।

(iii) ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नही होगा अन्यथा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो पडोसियों तथा मोहल्ले के निवासियों की निजता अथवा अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो ।

(iv) किसी भी व्यक्ति को स्थापना के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा।

7. **अतिथि के दायित्व :–**

अतिथि अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न का पालन करेगा, अर्थात :–

(क) वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा ।

(ख) वह अच्छा आचरण तथा व्यवहार रखेगा । वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे मोहल्ले में न्यूसेंस उत्पन्न होता हो ।

(ग) उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं होवे ।

(घ) वह स्वतंत्र किचन संचालित नहीं करेगा ।

(ड) जान–बूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे व्यक्ति जिसे उसने अनुमति दी हो, इकाई में यदि कोई क्षति करे तो उसकी मरम्मत की क्षतिपूर्ति करेगा। परन्तु ऐसी क्षति में सामान्य वियर एण्ड टियर शामिल नहीं है ।

(च) परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह भवन स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और स्थापना के नियमों का पालन करेगा।

(छ) वह किसी अन्य व्यक्ति को रा़त्रि में स्वयं के साथ इकाई में रूकने की अनुमति नहीं देगा ।

8. अतिथियो की शिकायत का निराकरण :–

(1) जब कोई सम्पत्ति धारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ व अन्य सुविधायें जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक को प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी शिकायत फेक्स, ई मेल या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष क्रमांक, इ मेल आई डी होना चाहिए ।

(2) प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा सम्पत्ति धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस स्थापना का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा ।

9. डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना :–

(1) प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात् –

(i) यदि इकाई के स्वामी में परिवर्तन हो गया हो,

(ii) यदि सम्पत्ति धारक को आपराधिक मामले में दंडित किया गया हो तथा वह जेल में रहा हो,

(iii) यदि सम्पत्ति धारक दिवालियां घोषित हो गया हो,

(iv) यदि सम्पत्ति धारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,

(v) यदि इकाई से पडोसी, निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता हो,

(vi) अन्य कोई उपयुक्त कारण ।

(2) उप कंडिका (1) में की गई कार्यवाही से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पत्ति धारक को अभियोजित करने की कार्यवाही अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

(3) इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पत्ति धारक को उन कारणों को बतलाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से युक्तियुक्त हटाया जाना प्रस्तावित हो । सम्पत्ति धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामले में योग्य निर्णय लेगा ।

(4) प्रबंध संचालक समय समय पर ऐसे इकाई के नाम पते और उनके धारकों के नाम प्रकाशित करेगा जिनका पंजीयन निरस्त कर दिया हो ।

(5) जिस इकाई का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह पुनः पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी। ऐसे आवेदन पत्र का नियम–2 के प्रावधानों अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा।

10. इकाई को प्राप्त सुविधायें :–

(1) सम्पत्ति धारक ,जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से स्थानीय निकाय को भुगतान करेगा।

(2) यदि सम्पत्ति धारक द्वारा यात्रियों को एक वित्तीय वर्ष में रू0 5 लाख की सीमा के भीतर खान–पान उपलब्ध कराया जाता है तो उसे विद्यमान कर ढांचे के अनुसार वेट कर भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) यदि सम्पत्ति धारक द्वारा एक कमरे का किराया रू0 500/–प्रतिदिन से कम लिया जाता है तो उसे विद्यमान कर ढांचे अनुसार किराए पर लगजरी टैक्स देय नहीं होगा ।

(4) वेट कर तथा लगजरी कर के ढांचे में यदि संबंधित विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार सम्पत्ति धारक द्वारा कर का भुगतान करना होगा ।

(5) विद्युत प्रभार उन्हें म0प्र0 विद्युत मण्डल द्वारा सम्बन्धित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

(6) योजना के अन्तर्गत प्रचलित नियमों के अन्तर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा।

(7) सम्पत्ति धारक को फूड तथा रेस्टोरेंट लायसेंस की आवश्यकता नहीं होगी ।

11. निरीक्षण की शक्तियां :–

प्रबंध संचालक या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति किन्हीं उपयुक्त अवसरों पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा ।

12. प्रचार–प्रसार :–

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसे पंजीकृत इकाईयों का प्रचार प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा ।

Hari Ranjan Rao

(हरि रंजन राव)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि.

प्ररूप—अ

म0प्र0 राज्य बेड एण्ड ब्रेक फास्ट स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना, 2010 अन्तर्गत पंजीयन का आवेदन पत्र

(कंडिका 2 (2) देखे)

1. इकाई का नाम—

2. सम्पति धारक का नाम —

3. इकाई का पत्र व्यवहार का पता —

(क) टेलीफोन क्रमांक (ख) फेक्स क्रमांक

(ग) ई मेल आई डी (ग) मोबाईल क्रमांक

4. इकाई का विवरण —

(क) इकाई के स्वामित्व का विवरण
(प्रमाण संलग्न करें)

(ख) बिल्डिंग प्लान की स्थानीय निकाय से स्वीकृति
का प्रमाण

(ग) इकाई के सामने की सड़क की चौडाई

(घ) इकाई अथवा उसके निकट उपलब्ध पार्किंग की जानकारी

(ङ) भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

(च) कव्हरर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

(छ) परिसर में कुल कक्षों की संख्या

(i) एकल शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार

(ii) दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार

(ज) इकाई हेतु उपलबध कराए जा रहे कक्षों की संख्या —

(i) एकल शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार

(ii) दो शैय्या वाले कक्षों की संख्या व उनका आकार

(iii) स्नानागार तथा शौचालय की व्यवस्था

(झ) निम्न सुविधा सहित कामन एरिया (वर्ग मीटर में)

(क) लॉबी / लांउज (ख) डाइनिंग

(ञ) अतिरिक्त सुविधाएँ (यदि कोई हो)
(ट) विकलांग व्यक्तियों के लिये सुविधाएँ
(ठ) अग्नि शमन की व्यवस्था का विवरण

6. खाने का प्रकार जो उपलब्ध कराया जायेगा

7. कमरे का प्रस्तावित किराया (खानपान सामग्री का अतिरिक्त प्रभार)

(क) एकल शैय्या कक्ष (ख) दो शैय्या वाले कक्ष

8. पंजीयन फीस का विवरण

(क) डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक दिनांक
बैंक का नाम

9. संलग्न का विवरण –

(i) सम्पति धारक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
(ii) इकाई में निवासरत परिवार का विवरण
(iii) इकाई में उपलब्ध सुविधा की चेक लिस्ट
(iv) अन्य दस्तावेज जिनका विवरण निम्नानुसार है

उपयुर्क्त जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य व सही है ।

स्थान
दिनांक **हस्ताक्षर**
स्वामी का नाम

प्ररूप–ब

शपथ पत्र

नाम .... पिता का नाम .... आयु ....
.... निवासी ....
....

1. यह कि मैने मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की ''मध्यप्रदेश राज्य बेड एण्ड ब्रेक फास्ट स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010'' के अंतर्गत अपने आवासीय भवन के पंजीयन के लिए आवेदन किया है।
2. यह कि मेरे तथा मेरे परिवार के विरूद्ध पुलिस में कोई आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है।
3. यह कि किसी आपराधिक मामले में मैं दंडित नहीं हुआ हूँ।
4. यह कि मैंने उपरोक्त योजना का भली–भांति अध्ययन कर लिया है, तथा मैं समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

उपरोक्त कंडिका 01 से कंडिका 04 में बताये गये तथ्य, मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>प्ररूप –स</u>

<u>बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना की स्वीकृति व पंजीयन की चेक लिस्ट</u>

(कण्डिका 2(2) देखें)

सरल क्र.	विवरण		सुविधाओं की उपलब्धता (हॉ / नहीं)	पंजीयन समिति की सत्यापन टीप
1	इकाई का संधारण एवं व्यवस्था अच्छी हो।	आवश्यक		
2	पर्याप्त सड़क चौड़ाई के साथ पार्किंग सुविधा	वांछनीय		
3	गेस्ट रूम न्यूनतम 2 अधिकतम 5 कक्ष (10 शैय्या) सभी कमरे स्वच्छ, हवादार, पेस्टफ्री, खिड़की / वेन्टीलेटर सहित	आवश्यक		
4	न्यूनतम फ्लोर एरिया प्रत्येक कमरे का (मीटर में)	12 वर्ग मीटर		
5	आरामदायक बिस्तर, स्तरीय लिनेन तथा बेडिंग जो भारतीय डिजाइन में हो	आवश्यक		
6	पर्याप्त स्नानागार तथा शौचाल	आवश्यक		
7	स्नानागार का न्यूनतम आकार	3 वर्ग मीटर		
8	पाश्चात्य शौचालय में सीट, ढक्कन तथा टायलेट पेपर	वांछनीय		
9	24 घंटे अबाध ठण्डा तथा गर्म पानी जो उचित सीवेज से जुड़ा हो	वांछनीय		
10	जल बचत वाले नल / शावर	वांछनीय		
11	स्तरीय धुआं मुक्त, स्वच्छ, गंधरहित, कीट रहित किचिन	आवश्यक		
12	डाइनिंग एरिया जिसमें कांटिनेन्टल /भारतीय [illegible]	आवश्यक		
13	स्तरीय कटलरी तथा क्राकरी	आवश्यक		
14	एयरकन्डीशनिंग / हीटिंग सुविधा जो मौसम के अनुकूल हो जिसमें कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे	वांछनीय		
15	निवेदन पर आयरन तथा आयरन बोर्ड की उपलब्धता	वांछनीय		

मध्यप्रदेश राज्य बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2010 के अंतर्गत चेक लिस्ट

16	इन्टरनेट कनेक्शन	वांछनीय		
17	एक 15 एम्पीयर अर्थ्ड पॉवर सॉकेट गेस्ट रूम में	वांछनीय		
18	टेलीफोन जिसका एक्सटेन्शन गेस्ट रूम में हो	वांछनीय		
19	गेस्ट रूम में वार्डरोब जिसमें 4 क्लाथ हेंगर हो	आवश्यक		
20	शेल्फ्स या ड्रावर स्पेस गेस्ट रूम में	आवश्यक		
21	काम्पलीमेन्ट्री एक्वागार्ड/आर.ओ/मिनरल वाटर	आवश्यक		
22	स्तरीय कुर्सियाँ, वर्किंग टेबिल तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर	आवश्यक		
23	स्थापना में कपड़ों की धुलाई/ ड्रायक्लीनिंग के लिए वाशिंग मशीन /ड्रायर की व्यवस्था	वांछनीय		
24	कमरे में रेफ्रीजरेटर	वांछनीय		
25	लाउन्ज अथवा लॉबी में बैठने की व्यवस्था	आवश्यक		
26	स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार कूड़ा निपटान की व्यवस्था	आवश्यक		
27	चेक/डी.डी./क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने की व्यवस्था	वांछनीय		
28	अतिथियों के संदेश लेने की व्यवस्था	आवश्यक		
29	चिकित्सकों के नाम, पता, दूरभाष क्रमांक	आवश्यक		
30	लगेज के लिए आग्रह पर सहायता	वांछनीय		
31	कमरे में सेफ की व्यवस्था	वांछनीय		
32	धुआं/गर्मी की पहिचान के यंत्रों की उपलब्धता	वांछनीय		
33	सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था	वांछनीय		
34	लेफ्ट लगेज की सुविधा	आवश्यक		

हस्ताक्षर आवेदक

पंजीयन समिति की टीप :–

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
क्षेत्रीय प्रबंधक	**कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री**	**कलेक्टर के प्रतिनिधि**

म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल

' प्ररूप –द '

पंजीयन का प्रमाण पत्र
(कण्डिका – 2 (7) देखिए)

म0प्र0राज्य बेड एण्ड ब्रेक फास्ट संस्थापना

प्रमाणित किया जाता है कि आवास क्र. .... जिसके स्वामी श्री / श्रीमती / कुमारी .... है, म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग की बेड एण्ड ब्रेक फास्ट संस्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010 के अन्तर्गत क्रमांक .... पर पंजीकृत है।

यह प्रमाण पत्र दिनॉक ....तक वैध है ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम

पंजीकरण की अध्यतन जानकारी www.mptourism.com पर उपलब्ध है।

म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल

('प्ररूप– ई')

स्थापना की डायरेक्टरी का प्रपत्र

(कण्डिका –2 (9) देखिए)

सरल क्रमांक	पंजीयन स्वीकृत करने की तिथि	स्वामी का नाम	पता	ई–मेल	फैक्स क्रमांक	मोबाइल क्रमांक	लेंड लाइन क्रमांक	कमरो की संख्या		सम्पत्ति के फ्रंट व्हयू का फोटो	पंजीयन की वैधता अवधि
								एकल शैय्या	दो शैय्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

म0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल

('प्ररूप–फ')

अतिथियों के आगमन/प्रस्थान की पंजी जो स्थापना स्वामी द्वारा संधारित की जावेगी
(कण्डिका –5 (**i**) देखिए)

सरल क्रमांक	अतिथि का नाम	उम्र	स्थायी पता	दूरभाष क्रमांक	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट क्रमांक अथवा अन्य पहचान पत्र का विवरण	दिनॉक तथा समय		अतिथि कहॉ से आया	हस्ताक्षर
							(क) आगमन	(ख) प्रस्थान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11